

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी द्वारा अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या  
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत  
राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप  
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों को सुस्पष्ट  
समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी  
जाए)

*Recommended for Approval.*

दिनांक- 9.3.2017

स्थान-

हस्ताक्षर

नाम

श्री. वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
सरकारी (मोहरी) अधिनियम-1980  
उ० प्र०, लखनऊ।